APP-A
Crim-I

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत	न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी	मुकाम	सवाईमाधोपुर
शीलेष पुत्री कल्याण पत्नि पत्नि रामबाबू जाति तेली निवासी भूडारा बाजार करौली वगै0		बनाम	कल्याण पुत्र स्व0मटरूआ जाति तेली निवासी भूडारा बाजार करौली वगै0
किस्म मुकदमा	अपील अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट	नं.	30/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.06.2024	अपीलार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक श्री विष्णु चंद बंसल के अपील अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट में रेस्पो0 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली द्वारा प्रकरण संख्या 23/2023 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए बावत अस्थाई निषेघाज्ञा मे पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे पेश की गई। रिपोर्ट सरिस्ता व पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेघाज्ञा मे पारित उपर्युक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 04.04..2024 के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली द्वारा दिनांक 6.7.2023 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को आक्षेपित आदेश दिनांक 04.04.2024 को आगे नही बढाया जाकर उक्त प्रकरण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे आईन्दा तारीख पेशी नियत कर दी गई। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश को न्यायालय हाजा मे चुनौती दी गई है। चूंकि आक्षेपित आदेश 04.04.2024 अंतिम आदेश/निर्णय नही होकर अंतरिम आदेश होने से अपील योग्य नही होकर सक्षम न्यायालय मे पुनरीक्षण योग्य होने से प्रस्तुत अपील पोषणीय नही होने से इसी एडमिशन की स्टेज पर खारिज की जाती है। पत्रावली दाखिल, खारजा की जाकर निर्णय शुमार होकर बाद तामील तकमील प्रविष्ट लेख भण्डार हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Scanned with CamScanner